संख्या-170/2018/2720/22-2-2017-17(674)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 16 फरवरी, 2018**

विषयः- जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टिंकू पुत्र श्री कुंजीलाल, निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/(एम 06.09.2016) दिनांक 04.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टिंकू पुत्र श्री कुंजीलाल, जो ग्राम- आलमपुर,थाना- जसवन्त नगर, जनपद- इटावा का निवासी है। विमलेश कुमार की 11 वर्षीय पुत्री पड़ोसी संतोष के घर अपनी सहेली रोशनी और कौशकी के साथ खेल रही थी तथा घर के अन्य सदस्य खेत पर कार्य के लिए गये थे। दिनांक-04-04-2012 को समय लगभग-03.00 बजे बंदी ने चार पाई पर बांधकर वस्त्र विहीन कर बलात्कार करने का प्रयास किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-225/2012 में भा0द0वि0 की धारा-376/511,452, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-कोर्ट सं0-06, इटावा के आदेश दिनांक 28.07.2014 द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.03.2016 तक 03 वर्ष 10 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 05 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता,जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी टिंकू पुत्र श्री कुंजीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी टिंकू (बन्दी संख्या-4290/14) पुत्र श्री कुंजीलाल, निवासी जनपद-इटावा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-170/2018/2720(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-इटावा।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-170/2018/2720@22-2-2017-17(674)/2017

दिनांक 16 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टिंकू पुत्र श्री कुंजीलाल, जो ग्राम-आलमपुर,थाना- जसवन्त नगर, जनपद- इटावा का निवासी है। विमलेश कुमार की 11 वर्षीय पुत्री पड़ोसी संतोष के घर अपनी सहेली रोशनी और कौशकी के साथ खेल रही थी तथा घर के अन्य सदस्य खेत पर कार्य के लिए गये थे। दिनांक-04-04-2012 को समय लगभग-03.00 बजे बंदी ने चार पाई पर बांधकर वस्त्र विहीन कर बलात्कार करने का प्रयास किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-225/2012 में भा0द0वि0 की धारा-376/511,452, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-कोर्ट सं0-06, इटावा के आदेश दिनांक 28.07.2014 द्वारा 07 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.03.2016 तक 03 वर्ष 10 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 05 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने यह अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता,जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, इटावा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी टिंकू पुत्र श्री कुंजीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।